हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 19 दिसम्बर, 2025 को 10.30 बजे प्रात: विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची (प्रथम बैठक)।

I. प्रश्न।

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. शून्य काल।

III. नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2025-2026 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) तथा उन पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

(i)	वित्त मंत्री	2025-2026 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) प्रस्तुत करेंगे।
(ii)	चेयरपर्सन, प्राक्कलन समिति	2025-2026 के लिए अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

IV. 2025-2026 के अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त)।

1. राज्य के राजस्व पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा।
2. अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

मांग संख्या 5	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹75,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **5 - गृह (गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा) / जेल (कारागार) /न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय / अभियोजन / एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (दूसरी किस्त) पृष्ठ संख्या 5-9
मांग संख्या 6	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹8,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **6 - वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण / आपूर्ति एवं निपटान / आयोजना तथा सांख्यिकी (डीईएसए)** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (दूसरी किस्त) पृष्ठ संख्या 10-13
मांग संख्या 7	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए ₹110,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **7 - राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (दूसरी किस्त) पृष्ठ संख्या 14-16

मांग संख्या 10	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹427,19,20,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹2,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **10 - कृषि एवं किसान कल्याण / बागवानी / पशुपालन और डेयरी विकास / मत्स्य पालन / खान एवं भूविज्ञान / पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (दूसरी किस्त) पृष्ठ संख्या 17-32
मांग संख्या 11	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹5,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **11 – सहकारिता / खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (दूसरी किस्त) पृष्ठ संख्या 33-35
मांग संख्या 12	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹1,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **12- शिक्षा (माध्यमिक/ प्राथमिक) / उच्च शिक्षा (उच्च / तकनीकी / विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी) /महिला एवं बाल विकास** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (दूसरी किस्त) पृष्ठ संख्या 36-38
मांग संख्या 16	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹1,39,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹3,01,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **16 - सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण / अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अन्तोदय / भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (दूसरी किस्त) पृष्ठ संख्या 39-45
मांग संख्या 17	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹533,63,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹260,02,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **17 - लोक निर्माण (भवन व सड़कें) / परिवहन / नागर विमानन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (दूसरी किस्त) पृष्ठ संख्या 46-72
मांग संख्या 18	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹60,00,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹69,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **18 - सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति / मुद्रण तथा लेखन सामग्री** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (दूसरी किस्त) पृष्ठ संख्या 73-76

मांग संख्या 19	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹3346,97,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹60,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **19 - ऊर्जा विभाग (विद्युत / नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा) / उद्योग एवं वाणिज्य / एमएसएमई / सिंचाई एवं जल संसाधन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (दूसरी किस्त) पृष्ठ संख्या 77-92
मांग संख्या 20	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹10,12,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹656,04,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या **20 - नगर तथा ग्राम आयोजना / शहरी सम्पदा (शहरी विकास) / शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार) / विकास और पंचायत (ग्रामीण विकास) /जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2025-26 (दूसरी किस्त) पृष्ठ संख्या 93-110

V. <u>नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा</u> ।

1. श्री घनश्याम दास, एम.एल.ए., 2. श्री योगीन्द्र सिंह राणा, एम.एल.ए. ।	कि राष्ट्रीय गीत "वन्दे मातरम्" की 150 वीं वर्षगांठ पर चर्चा की जाए ।

चण्डीगढ़: **राजीव प्रसाद,**
18 दिसम्बर, 2025. **सचिव।**